"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013— भाद्र 1, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्रमांक 780/415/अव./2013/1-8/स्था.— श्री रामलाल खैरवार, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 20-05-2013 से 01-06-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-05-2013 तथा 02-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामलाल खैरवार, आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. अवकाश अवधि में श्री खैरवार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खैरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्रमांक 782/545/अव./2013/1-8/स्था .—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 07-05-2013 से 10-05-2013 तक 04 दिवस एवं दिनांक 05-07-2013 से 09-07-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्रमांक 784/579/अव./2013/1-8/स्था .—श्री कमर अली, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 01-08-2013 से 08-08-2013 तक 08 दिवस का अर्जित [illegible] किया जाता है तथा [illegible] 09, 10, 11-08-2013 के [illegible] [illegible]

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक 786/566/अव./2013/1-8/स्था .—श्री के. डी. कुंजाम, उप-सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 24-07-2013 से 27-07-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28-07-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. डी. कुंजाम, आगामी आदेश तक उप-सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 788/361/अव./2013/1-8/स्था .— इस विभाग के आदेश क्रमांक 25/213/अव./2013/1-8/स्था., दिनांक 23-04-2013 द्वारा श्री सैय्यद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का दिनांक 22-04-2013 से 17-05-2013 तक 26 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18-05-2013 से 24-05-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 23-04-2013 के अनुसार यथावत् लागू होंगे.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 790/2135/अव./2013/1-8/स्था .—श्री बी. आर. साहू, स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 17-06-2013 से 29-06-2013 तक 13 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 30-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू, आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक 5571/4514/2013/18 .—श्री डी. के. सिंह (रा. प्र. से.) आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को दिनांक 22-07-2013 से 02-08-2013 तक (12 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम, दुर्ग में आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 4955/तक–46/टीसी/2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 एवं 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, एतद्द्वारा, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, (छ.ग.) 492002 (कक्ष क्र. एस–4/10) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 51 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"51–क. कतिपय जानकारी की प्रविष्टियां.– रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, पंजीयन प्रमाणपत्र एवं मोटरयान पंजी में निम्नलिखित जानकारी निरपवाद रूप से इन्द्राज करेगा :–

(1) यदि वाहन में ओव्हर–हेंग हों तो वह दर्शाया जाएगा, और यदि नहीं किया गया है तो "अनुज्ञात नहीं" लिखा जाएगा।

(2) वाहन के अंदर के कक्ष की चौड़ाई और लम्बाई।

(3) प्रभारी लिपिक और पर्यवेक्षक स्टॉफ (कर्मचारी) का नाम और पदनाम।

(4) निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों की विशिष्टियों के अधीन वाहन का सत्यापन किया हो।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिए आदेश दिया हो।

(6) आवेदक के प्रतिनिधि, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति का नाम, जिसने कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।

वाहन की समस्त जानकारी और उक्त सूचना, कार्यालय के कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में एवं अन्य समुचित अभिलेख में दर्ज की जाएगी। आवेदक के प्रतिनिधि की पहचान वैध दस्तावेज के द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी, ताकि मुकदमेबाजी या पुलिस प्रकरण की दशा में ऐसे व्यक्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध रहे।"

2. नियम 116 के उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–
"उप–नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण बस "एक्सप्रेस सेवा" के रूप में और "डीलक्स बस" "एक्सप्रेस/डीलक्स सेवा" के रूप में उपयोग की जा सकेगी। अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, निरपवाद रूप से अनुज्ञप्त मार्ग (रूट इन परमिट) पर यान की गति के अनुसार सेवा का प्रकार, जैसे कि साधारण, साधारण एक्सप्रेस, डीलक्स या डीलक्स एक्सप्रेस अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति के समय या अन्यथा, स्पष्ट करेगा।"

3. नियम 158 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–
"158. बैठने की जगह (सीटिंग रूम).– (1) साधारण सेवा के रूप में नियोजित मोटर–केब या मेक्सी–केब से भिन्न लोक सेवा यान में दिया जाने वाला न्यूनतम बैठने का स्थान, बैक रेस्ट (पीठ टेकने) एवं मध्यरास्ता (बैठक के बीच आने जाने का रास्ता) इत्यादि, निम्नानुसार होगा :–

विवरण	साधारण न्यूनतम	टीप
(1)	(2)	(3)
I. एक के पीछे एक बैठकों (सीटों) की दूरी–		
(क) जब यान में बैठक आर–पार लगे हुए हों और उनका सामने का मुख एक ही दिशा में हो।	70 से.मी.	–
(ख) जब यान में बैठक आर–पार लगे हुए हों किन्तु सामने हों।	130 से.मी.	साधारण से भिन्न के लिए, अनुज्ञेय नहीं
(ग) जब बैठक, यान की लम्बाई में लगे हुए और सामने–सामने हो।	140 से.मी.	–तदैव–
II. बैठकों का आकार	40×40 से.मी.	–
III. बैठक के आसन की सतह से पीठ की ऊंचाई	40 से.मी.	–
IV. बैठक और बैठक की गद्दी का प्रकार	लेदर, पी.व्ही.सी. लेदर, रिमिक्स या वैसे ही पदार्थ की सामग्री युक्त न्यूनतम 5 से.मी.	–

	मोटाई की फोम या रबर फोम की गद्दी	
V. मध्यरास्ता (बैठकों के बीच आने–जाने का रास्ता)	35 से.मी.	—

(2) पर्यटक यान से भिन्न डीलक्स बस, जो डीलक्स सेवा के रूप में चलायी जाएगी, की विशिष्टियां, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 में यथा उपबंधित पर्यटक यान की बैठक क्षमता सहित विशिष्टियों के अनुरूप होगी।

(3) नियम 170–क (ख) में उल्लिखित शयन की विशिष्टियों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण/डीलक्स बस के निचले आधे हिस्से में अथवा ऊपरी आधे हिस्से में अथवा ऊपर या नीचे दोनों हिस्से पर चालक के विपरीत दूसरे बाजू पर, एक कतार में शयन, उपलब्ध कराया जा सकेगा, और तल क्षेत्र के शेष भाग में इस नियम के बैठक की विशिष्टियों के अनुसार अधिकतम बैठक संख्या, उपलब्ध कराई जाएगी। यह उप–नियम, ऐसे वाहन पर लागू नहीं होगा, जिसका व्हील–बेस 205 इंच से कम हो।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नीचे उल्लिखित समस्त बनावट एवं मॉडल की साधारण अवस्था की गाड़ी जिनका व्हील बेस निम्नानुसार है की बैठक क्षमता, उनके सामने दर्शायी गई न्यूनतम क्षमता से कम नहीं होगी :–

तालिका

स. क्र.	व्हील बेस		साधारण वाहनों की न्यूनतम बैठक क्षमता				
	मि.मी.	इंच	चेचिस का मूल निर्माण	चौड़ाई 213–3 से.मी. (7 फीट) से अधिक नहीं होना चाहिए		चौड़ाई 213–3 से.मी. (7 फीट) से अधिक होना चाहिए	
				40% ओवरहेंग	60% ओवरहेंग	40% ओवरहेंग	60% ओवरहेंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2,540 – 2,921	100 – 115	16	—	—	—	—
2	2,946 – 3,048	116 – 120	20	—	—	—	—
3	3,073 – 3,429	121 – 135	—	20	25	—	—
4	3,454 – 4,064	136 – 160	—	25	30	—	—
5	4,089 – 4,318	161 – 170	—	32	35	35	37
6	4,343 – 4,953	171 – 195	—	33	36	42	44

7	4,978 – 5,207	196 – 205	–	–	–	46	48
8	5,232 – 5,334	206 – 210	–	–	–	48	50
9	5,339 – 5,639	211 – 222	–	–	–	50	55
10	5,664 से अधिक	223 से अधिक	–	–	–	सीटों का आबंटन, पूर्ण रूप से नियम 158 (1) में यथा विनिर्दिष्ट कारपेट एरिया (तल क्षेत्रफल) के अनुसार ही किया जाएगा	

परन्तु पंजीयन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी साधारण/एक्सप्रेस लोक सेवा यान के संबंध में, उपरोक्त बैठकों में परिवर्तन कर सकेगा, जहां :–

(एक) नियम 162, के अधीन राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई आदेश;

(दो) फ्लोर स्पेस और ले आउट, उपरोक्त बैठक क्षमता प्रदान करने की अनुमति नहीं देते हैं;

(तीन) वाहन का परिमाप विनिर्माता द्वारा ऊपर उल्लिखित वाहनों के परिमाप से परिवर्तित कर दिया गया।

(चार) जहां बॉडी का निर्माण, शासकीय अथवा अर्द्ध–शासकीय संस्था द्वारा जो केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी सलाह अथवा अन्यथा के लिए अनुमोदित है, अथवा विमानन विभाग के अनुमोदन द्वारा अथवा उपरोक्त उल्लिखित तकनीकी संस्था द्वारा जिसने कतिपय बड़े बॉडी निर्माता को बस की बॉडी के निर्माण के लिये अनुमोदन दिया हो, किया गया है तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे और बैठक क्षमता ऐसे संस्था/विभाग के प्रमाणीकरण के अनुसार नियत की जायेगी।

तथा ऐसा आदेश, उसका कारण दर्शाते हुए लिखित में किया जाएगा।

(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले पंजीकृत हो, परन्तु इस नियम के अधीन प्रावधानों का पालन करने हेतु बॉडी का पुनर्निर्माण ऐसे नियम के प्रवर्तन की तारीख से चौबीस माह के भीतर मात्र कराया जा सकेगा। तथापि, जहां लोक सेवा यान का स्वामी, इस उप–नियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से चौबीस माह के पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उस वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र पंजीयन प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जायेगा। उसके पश्चात् प्रावधानों का पालन किये जाने पर, उस प्राधिकारी द्वारा निलम्बन को रद्द किया जा सकेगा। ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र के ऐसे निलम्बन की सूचना, समस्त जांच प्राधिकारियों और संबंधित पुलिस थानों को दी जाएगी।"

4. नियम 158 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"158–क. बैठक क्षमता का निर्धारण.– (1) बैठक क्षमता का निर्धारण, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वाहन में उपलब्ध कारपेट–एरिया (तल क्षेत्र) के आधार पर, अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के पालन का परीक्षण करने के पश्चात् किया जायेगा।

(2) नियम 46 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए मोटर–केब अथवा मेक्सी–केब से भिन्न लोक सेवा यान के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ब्लू प्रिंट में वाहन का ले–आउट जो अधिकृत ड्राफ्ट–मेन द्वारा तल क्षेत्र और समस्त आवश्यक मापों, जैसे वाहन के अंदर की लम्बांई और चौड़ाई, मध्यरास्ता की चौड़ाई, चालक कक्ष के आकार, ओव्हर–हेंग के आकार, बैठकों के माप, चेचिस नम्बर, इंजिन नम्बर इत्यादि के साथ बैठक क्षमता और विचाराधीन वाहन में नियम 158 में उल्लिखित अन्य आवश्यकतायें के संबंध में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करे। बैठक व्यवस्था का ऐसा ले–आउट ड्राफ्ट–मेन, यदि वाहन नया है, तो बॉडी निर्माता जिसने वाहन का निर्माण किया है के द्वारा तैयार एवं अनुमोदित, हस्ताक्षरित तथा आवेदक द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जायेगा। ब्लू–प्रिंट में वाहन का ऐसा ले–आउट, इन नियमों के प्रावधान के अनुपालन की पुष्टि में, दो प्रतियों में एवं विधिवत हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) मोटर–केब अथवा मेक्सी–केब से भिन्न लोक सेवा यान की बैठक क्षमता निर्धारित करते समय, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा :–

(एक) वाहन में उपलब्ध कारपेट एरिया (तल क्षेत्र) के सही निर्धारण हेतु निरीक्षण अधिकारी बस के अंदर की चौड़ाई तथा लंबाई का वास्तविक माप और आवेदक द्वारा ब्लू–प्रिंट में प्रस्तुत ले–आउट के साथ विशिष्टियों की जांच करेगा और सत्यापन के पश्चात् ब्लू–प्रिंट एवं पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा।

(दो) निरीक्षणकर्ता अधिकारी, बैठक क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित मानदंड का पालन करेगा :–

नियम 158 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित कारपेट एरिया (तल क्षेत्र) से निम्नलिखित घटाया जाएगा :–

(क) नियम 163 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चालक के अलग कक्ष हेतु अपेक्षित स्थान;

(ख) मध्यरास्ता के लिए उपलब्ध स्थान; और

(ग) प्रवेश एवं निकास दरवाजों के लिए अपेक्षित स्थान।

(तीन) खण्ड (दो) के अनुसार निर्धारित की गई मापों को घटाने के पश्चात्, ऐसे वाहन की बैठक क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, कारपेट एरिया के शेष बकाया में से प्रत्येक सीट हेतु आवश्यक स्थान को विभाजित किया जाएगा।

158—ख. बैठक क्षमता के निर्धारण के लिए प्राधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व— वाहन के पंजीयन, उसकी विशिष्टियों के परिवर्तन अथवा बैठक क्षमता आदि के निर्धारण करते समय, निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी का यह प्रारंभिक कर्तव्य होगा कि किसी दस्तावेज के सत्यापन एवं हस्ताक्षर के पूर्व अधिनियम और नियमों में उल्लिखित विधि के समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों का पालन करे।

5. नियम 163 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"163—क. लोक सेवा यान में दरवाजे— मोटर—केब एवं मेक्सी—केब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में यात्रियों के प्रवेश एवं निकास के लिए दो दरवाजे होंगे।

163—ख. आपातकालीन निकास— मोटर—केब और मेक्सी—केब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में एक आपातकालीन निकास होगा। ऐसे आपातकालीन निकास हेतु विशिष्टियां, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के उप—नियम (4) के प्रावधानों में उपलब्ध कराई गई विशिष्टियों के अनुरूप होंगी।"

No. 4955/तक-46/TC/2013.— The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, Transport Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, [C.G.] 492002, (Room No. S-4/10) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 51, the following shall be added, namely:-

"51-A. Entries of certain information.- The Registering Authority, shall invariably enter the following information in the certificate of registration and in the register of motor vehicles :-

(1) It would be displayed if there is over-hang in the vehicle and if not done then shall be written "not permitted".

(2) Width and length inside the room of vehicle.

(3) Name and designation of dealing clerk and supervising staff.

(4) Name and designation of the Inspecting Officer who verified the vehicle as under specification of the Act and Rules made thereunder.

(5) Name and designation of the Registering Officer, who issued order for registration.

(6) Name of the representative of the applicant, agent or any person, who presented the documents in the office.

All information of vehicles and the said information shall be entered in the computerized record of the office and in other appropriate record. The identity of representative of the applicant shall be ensured by valid document, so as to information regarding such person should be available in case of litigation or police case."

2. After sub-rule (1) of rule 116, the following shall be inserted, namely:-

"Subject to the provisions of sub-rule (1) an ordinary bus may be used as "Express Service" and "Deluxe Bus" may be used as "Express/Deluxe Service". Permit granting Authority may invariably specify the type of service according to the speed of vehicle on the route in permit such as Ordinary, Ordinary Express, Deluxe or Deluxe Express at the time of grant of permit or otherwise."

3. For rule 158, the following shall be substituted, namely :-

"**158. Seating Room.-** (1) The minimum seating space, back rest and gang-way etc, to be provided in public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab deployed as ordinary service, shall be as follows:-

Particulars	Ordinary Minimum	Note
(1)	(2)	(3)
I. Distance of Seats back to back-		
(a) When seats are placed across the vehicle and facing in the same direction.	70 cm.	-
(b) When seats are placed across the vehicle but facing each other.	130 cm.	For other than ordinary, not permissible

(c)	When seats are placed along with length of the vehicle and facing each other.	140 cm.	...do...
II.	Size of the seats	40x40 cm.	-
III.	Height of the back of the seat above seat level	40 cm.	-
IV.	Type of seat and seat cushion	Foam or Rubber Foam cushion of minimum 5 cm. thickness with upholstery of leather, PVC leather, the remix or like material.	-
V-	Gang-way	35 cm.	--

(2) The specifications for Deluxe bus other than Tourist vehicle to be run as deluxe service shall conform to the specification of Tourist vehicle including seating capacity as provided under rule 128, of the Central Motor Vehicle Rule, 1989.

(3) Subject to the specifications of berth mentioned in rule 170-A (b), there may be provided berths in the lower half side or upper half side or both upper and lower side, of the bus, Ordinary/Deluxe, opposite driver side in single breath row, and in remaining area of the carpet-area (floor space) the maximum number of seats as per specifications of seat in this rule shall be provided. This sub-rule shall not be applicable to a vehicle having less than 205 inches wheel-base.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the seating capacity of an ordinary Stage Carriage of all makes and models mentioned below, having following wheel base, shall not be less than the minimum capacity indicated against them:-

TABLE

Sl. No.	Wheel Base		Minimum Seating Capacity of Ordinary Vehicle				
	M.M.	Inches	Original constriction in chassis	Width having not more than 213-3cm. (7 fit)		Width having more than 213-3 cm. (7 fit)	
				40% Over hang	60% Over hang	40% Over hang	60% Over hang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2,540 - 2,921	100 – 115	16	-	-	-	-

2	2,946 - 3,048	116 – 120	20	-	-	-	-
3	3,073 - 3,429	121 – 135	-	20	25	-	-
4	3,454 - 4,064	136 – 160	-	25	30	-	-
5	4,089 - 4,318	161 – 170	-	32	35	35	37
6	4,343 - 4,953	171 – 195	-	33	36	42	44
7	4,978 - 5,207	196 - 205	-	-	-	46	48
8	5,232 - 5,334	206 - 210	-	-	-	48	50
9	5,339 - 5,639	211 - 222	-	-	-	50	55
10	Above – 5,664	Above 223	-	-	-	Assignment of seats shall be strictly in accordance with the carpet area as mentioned in rule158 (1)	

Provided that the Registering Authority may by order, vary above seats in respect of any Ordinary/Express public service vehicle, where:-

(i) any order issued by the State Government under rule 162;

(ii) the floor space and lay-out do not permit to assign the above seating capacity;

(iii) the dimensions of vehicle is changed by the manufacturer from the dimensions of vehicle mentioned above;

(iv) Where the body is constructed by the Government or Semi-Government Institution, which has been approved by the Central Government for technical advice or other wise, or by the approval of Aviation Department or by above mentioned technical Institution, which has given approval to some big body-builder for the construction of bus body, the provision of this rule shall not apply and seating capacity shall be assigned according to the certification of such Institution/. Department;

and such order shall be in writing giving reasons thereof.

(5) Nothing contained in this rule shall apply to a vehicle registered before the date of coming in to force of this rule, provided that the body may be re-constructed only within twenty four months from the date of such coming in to force, for complying the provisions under this rule. However, where the owner of a public service vehicle failed to comply the provision of this sub-rule after twenty four months from coming in to force of this rule, the registration certificate of that vehicle shall be suspended by the Registering Authority. Thereafter on compliance of the provision, the suspension may be revoked by that Authority. Such suspension of registration of such vehicle shall be informed to all Checking Authorities and concerning police stations."

4. After rule 158, the following shall be added, namely:-

"158-A.Determination of seating capacity.- (1) The seating capacity shall be determined by the Registering Authority on the basis of carpet-area, (floor space) available in the vehicle, after examination of compliance of the provisions of Act and Rules made thereunder.

(2) Subject to the provision of rule 46, the owner of a public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab, shall be required to submit a lay-out in blue-print of the vehicle, prepared by the authorized draft-man in respect of floor-space and seating arrangement with all necessary measurements such as length and width inside of the vehicle, width of gang-way, size of driver's compartment, size of over-hang, seat measurements, Chassis number, Engine number etc. and other requirement mentioned in rule 158 of the vehicle under consideration. Such lay-out of seating arrangement shall be prepared and approved, singed by the draft-man, body builder, who constructed the vehicle if it is new and also singed by the applicant. Such lay-out in blue-print of the vehicle, shall be submitted in duplicate and duly signed, in confirmation of the complying the provision of these rules.

(3) The following general principles shall be observed by the Registering Authorities, while determining the seating capacity of a public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab:-

(i) For correct determination of carpet-area (floor space), the Inspecting Officer shall actually measure the width and the length of vehicle inside the bus and check the specification with the lay-out in blue-print submitted by the applicant and after verification singed the blue-print and application of registration.

(ii) For arriving at seating capacity the Inspecting Officer shall follow the norms mentioned below:-

Subject to the provision of rule 158, the following dimension shall be deducted from the Carpet-area:-

(a) Subject to the provision of rule 163, space required for separate compartment for driver;

(b) Space provided for Gang-way; and

(c) Space required for entrance and exit doors.

(iii) After deducting dimensions arrived at as per clause (**ii**), the remaining balance of carpet-area shall be divided by per seats required space for getting the seating capacity of such vehicle.

158-B. Duties and Responsibilities of Authorities in determination of seating capacity- It shall be the primary duty of Inspecting Officer and Registering Authority while Registering a vehicle, change of particulars therein or fixation of seating capacity etc. to comply all the provisions of law and instructions mentioned in the Act and Rules, before verifying and signing any documents."

5. After rule 163, the following shall be added, namely:-

"**163-A.** **Doors in public service vehicle-** There shall be two doors in every public service vehicle other than motor-cab and maxi-cab for the entrance and exit of passengers.

163-B. **Emergency Exit-** There shall be an emergency exit in every public service vehicle other than motor-cab and maxi-cab. The specification for such emergency exit shall conform to the specification provided in the provisions of sub-rule (4) of rule 128 of Central Motor Vehicle Rule, 1989".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. के. राठौर, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 06 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-18/2013/16.— राज्य शासन एतद्द्वारा सदस्य जज, राज्य औद्योगिक न्यायालय, को प्रवर श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पश्चात् उच्च प्रवर श्रेणी वेतनमान 37,400-67,000+8,900 ग्रेड पे प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 313/f 2013-16-00038/वित्त/नियम/चार, दिनांक 21-07-2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	भुमका	0.882	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर.	भुमका - आलोर मार्ग के कि. मी. 1/6 भुमका पहुंच मार्ग एवं सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. ध्रुवे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्रमांक 4215/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) सार्वजनिक अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	रीवाडीह प. ह. नं. 22	0.112 हे.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	रीवाडीह-पीरदा मार्ग पर बोरई नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 464/क/अविअ./भू.अ./16/अ-82 वर्ष 12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	कुम्हारी	0.34	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	कुम्हारी-कर्राभौना मार्ग पर खुंटी नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 465/क/अविअ./भू.अ./15/अ-82 वर्ष 12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	अंतरला	1.86	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सरायपाली - अंतरला (कसलबा) पदमपुर मार्ग पर सुरंगी नाला पर उच्च-स्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 467/क/अविअ./भू.अ./14/अ-82 वर्ष 12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कलेण्डा	0.29	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सरायपाली - अंतरला (कसलबा) पदमपुर मार्ग पर सुरंगी नाला पर उच्च-स्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक/1892/प्र.क्र. 2/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सोढ़, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1259	0.13
	1260	0.04
योग	2	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर उरल, पठारी डीह, बेरला कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक/1892/प्र.क्र. 3/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बेरला, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	250/1	0.04
	250/2	0.13
	250/3	0.01
	251	0.12
योग	4	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर उरल, पठारी डीह, बेरला कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक/1892/प्र.क्र. 5/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-हतपान, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
262	0.10
263/1	0.02
योग 2	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर उरल, पठारी डीह, बेरला कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 जून 2014

क्रमांक/5213/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयो के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-आलीवारा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305/2	0.016
308	0.020
309/5	0.008
309/8	0.016
331	0.141
332/1	0.012
332/2	0.024
333/1	0.004
334	0.008
660/1	0.445
660/2	0.065
661	0.065
662	0.069
663	0.032
665	0.040
667	0.053
666	0.028
668	0.057
716/1	0.020
717	0.121
718	0.024
719/8	0.008
योग 22	1.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आलीवारा-फगडूटोला मार्ग के अंतर्गत फगडूटोला नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2013

क्रमांक 5402/सा.लि./2013.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग) के पत्र दिनांक 02 अगस्त 2013 एवं संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र दिनांक 2-08-2013 तथा अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 4683 दिनांक 3-08-2013 में दी गई सूचना में बताया है कि पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय पोल्ट्री युनिट दुर्ग में मुर्गियों की असामान्य मृत्यु होने के कारण एवियन फ्लू (बर्ड फ्लू) होने की आशंका हो सकती है. अत: निम्नांकित क्षेत्र में निम्नानुसार गतिविधियों में अग्र अंकित प्रतिबंध एहतियातन रूप से लगाने बाबत् ऐसी आत्यांतिक आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, जिनका निवारण यदि तत्काल नहीं किया गया तो जन स्वास्थ्य पर इसका गम्भीर व विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

उपरोक्त आधार पर मैं अशोक कुमार अग्रवाल जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव का सम्यक रूप से समाधान हो गया है कि जनहित में निम्नानुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध उसके समक्ष अंकित क्षेत्र में लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है. तदनुसार निम्नानुसार निषेधाज्ञा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) एवं (2) के अन्तर्गत आगामी आदेश पर्यन्त अधिरोपित की जाती है.

1. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के 01 कि.मी. की परिधि से कुक्कुट पालन संबंधित सामग्री यथा कुक्कुट पक्षी, अण्डे, मृत पक्षी, पोल्ट्री मेन्योर, लिटर, उपकरण, औजार अथवा संबंधित अन्य कोई भी सामग्री बाहर ले जाने पर यह निषेधात्मक आज्ञा लागू होगी.

2. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग संक्रमित क्षेत्र से 01 कि.मी. की परिधि में कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद विक्रय केन्द्रों का खुला रखना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है.

उपरोक्त गम्भीर एवं तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिश: सूचना दिये जाने हेतु पर्याप्त समय नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए उपरोक्त निषेधाज्ञा की जनसाधारण को सूचना/सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर दी जा रही है.

अशोक कुमार अग्रवाल,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 8 अगस्त 2013

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 587.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 21, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम-देवरी व डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम भजपुर में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अ[illegible] आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम का नाम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	105/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/6, 405/13	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	481	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	418	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	463/5, 464	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	441/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/3	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/7	0.07
		योग	**8**	**0.54**

डभरा, दिनांक 8 अगस्त 2013

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 589.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 20, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम-देवरी व डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम साल्हे में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम का नाम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	96/2	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	103/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	95	0.27
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	106/2	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	88	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	89	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	96/3	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	55/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	58, 59	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	23/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	17/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	10/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	10/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	10/3	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	55/3	
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	55/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	56	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	57	0.02
		योग	18	1.22

डभरा, दिनांक 8 अगस्त 2013

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 591 —राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम-देवरी व डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम साराडीह में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	108/11	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	610	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/5	0.03
		योग	**3**	**0.12**

डभरा, दिनांक 8 अगस्त 2013

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 593.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 20, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम-देवरी व डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम रेड़ा में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1202/7	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/4	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1202/11	0.33
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1219/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1218	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1008	0.43
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1203/4	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1332/5	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1351/4	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1216/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1186/4	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1187/4	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1217/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1191/3	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1351/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1071/9	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1098/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1333/1, 1205/4	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1092/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1107/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1300/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1004/1	0.11
		योग	**24**	**2.75**

बी. सी. एक्का,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/2976.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/1613 रायपुर, दिनांक 07-06-2013 द्वारा श्री सुधीर सोम तहसीलदार जैजेपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा ज्ञापन क्रमांक 10218 दिनांक 17-07-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, जैजेपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री ए. आर. खान, तहसीलदार जैजेपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सुधीर सोम तहसीलदार जैजेपुर का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री ए. आर. खान तहसीलदार जैजेपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.